

**गिरिडीह समारहणालय**  
(जिला भू अर्जन शाखा)

**झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015**  
**के तहत एस.आई.ए. संशोधित प्रतिवेदन का सारांश**

**ज्ञापांक-...../भू अ.**

**दिनांक-05.08.2017**

1. परियोजना का नाम :- गिरिडीह बाईपास रोड, जिला-गिरिडीह ।
2. एस.आई.ए. करने वाले संस्थान का नाम :- AMCS PVT. LTD., Ranchi.
3. परियोजना समन्वयक :- श्री संजय कुमार सिंह एवं दल
4. प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार एवं परियोजना क्षेत्र और एस.आई.ए. द्वारा आच्छदित प्रभावित क्षेत्र :-

क्र.	मौजा का नाम	थाना संख्या	अंचल	कुल रकवा (एकड़ में)	क्र.	मौजा का नाम	थाना संख्या	अंचल	कुल रकवा (एकड़ में)
1	चतरो	266	गिरिडीह	2.4940	14	तेलोडीह	109	गिरिडीह	5.1850
2	मंझलाडीह	267	गिरिडीह	14.9470	15	सुन्दरटाँड	76	गिरिडीह	8.1000
3	गादी श्री रामपुर	268	गिरिडीह	24.9740	16	सिकदारडीह	82	गिरिडीह	4.5230
4	पुरनानगर	239	गिरिडीह	10.0139	17	तोहियोडीह	81	गिरिडीह	3.7190
5	टिकोडीह	279	गिरिडीह	5.4660	18	मानिकलालो	86	गिरिडीह	3.5950
6	चुंजका	238	गिरिडीह	13.7010	19	चन्दनडीह	87	गिरिडीह	12.9320
7	चिलगा	225	गिरिडीह	3.7280	20	मसीपीडी	89	गिरिडीह	8.1195
8	अकदोनी कालान	223	गिरिडीह	8.9812	21	हरीचाक	90	गिरिडीह	8.0750
9	बक्पीडीह	195	गिरिडीह	20.3255	22	कोईरिडीह	48	गिरिडीह	0.9880
10	जोरीडीह पचम्बा	104	गिरिडीह	0.4500	23	अन्दुडीह	88	गिरिडीह	0.5400
11	करहरवारी	194	गिरिडीह	2.2259	24	बोरो	91	गिरिडीह	0.0050
12	पण्डेयडीह	107	गिरिडीह	0.4410	25	सोनबाद	49	बेंगाबाद	3.3020
13	लोहपिटी	108	गिरिडीह	3.2690	<b>कुल</b>				<b>170.1000</b>

5. एस.आई.ए. प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिय गये उपसंहार निम्न प्रकार हैं :-
  - प्रस्तावित परियोजना पथ उन्नयन से संबंधित है। उक्त परियोजना से लोगो के आवगमन में काफी सुविधा होगी, जिसके लिए भूमि अर्जन, उचित मुआवजा राशि देने के साथ किया जा सकता है।
  - गिरिडीह बाईपास रोड से 1325 रयैती परिवार प्रभावित होंगे। प्रभावित भूमि पर 221 संरचनाएं एवं 1210 वृक्ष अवस्थित है, जिसके लिए समुचित मुआवजा का प्रावधान किया गया है।
  - यह एक रेखीय परियोजना है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। सभी प्रभावित परिवारों की सभी अवष्यकताओं को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
  - बाईपास सड़क के निर्माण के कारण एक भी परिवार भूमिहीन नहीं हो रहा है, ना ही कोई भी परिवार विस्थापित हो रहा है। प्रभावित परिवारों की आंषिक भूमि ही ली जा रही है और परिवार की आय पर माप योग प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आजीविका का प्रावधान नहीं किया गया है।
  - सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) अध्ययन प्रतिवेदन गिरिडीह जिला के वेबसाईट [www.giridih.nic.in](http://www.giridih.nic.in) एवं जिला भू अर्जन कार्यालय, गिरिडीह में देखा जा सकता है।